तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती मंगली बनाम भागीरथ वगैरा प्रकरण सख्या 26ए / 2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-	पत्रावली पेश हुई। वादीनी ने उपरोक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद धारा 88,183,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। जिस पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गयें। पत्रावली मे दिनांक 16.04.2021 को पक्षकारान वादीनी एवं प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 व 3 सिविल प्रकिया सहिता के तहत पेश कर सहमति पत्र दिनॉक 12.03.2021 के आधार पर वाद का निरस्तारण कर वाद निरस्त करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के साथ सहमति पत्र की फोटो प्रतिपेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीनी की ओर से अधिवक्ता बी,एल,चौधरी एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार पुनिया उपस्थित जिन्हाने वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान की। वादी एवं प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र एव सहमति पत्र दिनॉक 12.03.2021 मे वर्णित शर्तो के अधीन सही होना एव वाद को निरस्त करने मे सहमति प्रदान की है। तथा वाद को आगे नही चलाना चाहा। अतः न्यायहित मे उक्त प्रार्थना पत्र एवं सहमति पत्र दिनॉक 12.03.2021 स्वीकार किया जाता है। इस कारण से अब वाद मे कोई कार्यवाही शेष नही रही गई ऐसी स्थिति मे वादीनी का वाद जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।	

उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी